मुकेश सहनी
मंत्री, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग
बिहार सरकार

बिहार सरकार
पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग

विश्व अण्डा दिवस, 2021

08 अक्टूबर, 2021

पशुधन द्वारा
जीवन में गुणात्मक सुधार

- अन्तर्राष्ट्रीय अण्डा आयोग, वियेना 1996 के कॉन्फ्रेंस में प्रत्येक वर्ष अक्टूबर माह के द्वितीय शुक्रवार को विश्व अण्डा दिवस मनाने का निर्णय लिया गया।
- इस प्रकार इस वर्ष दिनांक 08 अक्टूबर, 2021 को विश्व अण्डा दिवस मनाया जाना है।
- इस दिवस को मनाने का उद्देश्य जीवन में अण्डा की महत्ता एवं उसके लाभ की जानकारी को आम जन में प्रचारित करने का सुअवसर प्रदान करना है। खासकर विद्यालय के बच्चों को इसकी जानकारी के साथ–साथ इसमें पायें जाने वाले महत्वपूर्ण प्रोटीन, मिनरल, एच.डी.एल. कॉलेस्ट्रॉल की उपलब्धता कम कीमत पर पाये जाने की सूचना देना है।
- भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद् (आई.सी.एम.आर.), नई दिल्ली, जो खाद्यय पदार्थों के बारे में जानकारी एवं उसके अनुसंशित मात्रा का निर्धारण करती है, के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को प्रति वर्ष 180 अण्डा खाना चाहिए।
- अण्डा एक उत्तम खाद्य पदार्थ के रूप में जाना जाता है। एक सामान्य अण्डा में लगभग 70 कैलोरी उर्जा एवं उच्च गुणवत्ता वाली प्राकृतिक प्रोटीन की मात्रा 6 ग्राम पायी जाती है। वसा की मात्रा 4.5 ग्राम जिसमें 1.5 ग्राम संतुलित वसा एवं 2 ग्राम असंतुलित वसा पाया जाता है। साथ ही अन्य कई प्रकार के खाद्यय पदार्थ जैसे विटामिन ए, डी, ई, के, बी–2, बी–5, बी–6, बी–12 फोलेट एवं अन्य मिनरल्स जैसे कैल्सियम, फास्फोरस, सेलेनियम, जिंक इत्यादि पाये जाते है जो सामान्य मनुष्यों खासकर बच्चों के स्वास्थ्य के लिए अत्यंत लाभदायक है।
- साधारणतः अण्डा को उच्च कॉलेस्ट्रॉल के रूप में जाना जाता है जबकि एक सामान्य अण्डा में 212 मिलीग्राम कॉलेस्ट्रॉल पाया जाता है, जो अनुशंसित मात्रा 300 मिलीग्राम का लगभग 70 प्रतिशत ही होता है।
- अण्डा का सेवन बच्चों के सामान्य शारीरिक एवं मानसिक विकास, वजन नियंत्रण के साथ–साथ गर्भवती महिलाओं के लिए भी लाभप्रद है।
- राज्य में अण्डा उत्पादन में वृद्धि करने हेतु विभाग के द्वारा समेकित मुर्गी विकास योजना के अन्तर्गत लेयर (अंडा देने वाली मुर्गी) मुर्गी पालन को बढ़ावा देने हेतु अनुदान की योजना चलाई जा रही है।
- इस योजना के अन्तर्गत 5000 एवं 10000 लेयर मुर्गी क्षमता के कुल 183 मुर्गी फार्मों के लिये लाभुकों का चयन कर विभिन्न जिलों मे लेयर मुर्गी फार्म की स्थापना की कार्रवाई की जा रही है।
- लेयर मुर्गी फार्म के इकाई की स्थापना करने के लिये सामान्य जाति के लाभार्थियों को लागत का 30 प्रतिशत एवं अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लाभार्थियों को लागत का 40 प्रतिशत अनुदान देने की व्यवस्था है। इसके अलावा बैंक ऋण के ब्याज पर भी आगामी चार वर्षों में 50 प्रतिशत अनुदान देने की व्यवस्था की गई है।

''सण्डे हो या मण्डे, रोज खाओ अण्डे'' | ''गर्मी, वर्षा या हो ठण्डे, रोज खाओ अण्डे''

पशुपालन निदेशालय, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग, बिहार, पटना द्वारा जनहित में प्रचारित